कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से भर्ती वर्ष 2015 में चयनोपरान्त प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) इतिहास को वेतन पे मैट्रिक्स लेवल–12 के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–15(1) एफ.डी./नियम/2017 दिनांक 09.12.17 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के प्रावधानान्तर्गत 02 वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में निम्नांकित व्याख्याता इतिहास को नियत स्थिर मानदेय पर/विद्यमान वेतनमान में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से निम्नांकित व्याख्याताओं का स्थायीकरण/नियमितीकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सिविल अपील संख्या 4695–4699/2018 रिशाल व अन्य बनाम आयोग व अन्य के अन्तर्गत एसएलपी संख्या 14306–14310/ 2017 में पारित आदेश दिनांक 03.05.2018 की अनुपालना में एवं राज्य सरकार के पत्रांक प.17(66)माध्य/शिक्षा–2/विप्र/2017 पार्ट जयपुर, दिनांक 03.10.2019 के अनुसरण में निम्नांकित प्राध्यापकों को कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि संतोषप्रद रूप में पूर्ण किये जान के आधार/सेवा सत्यापन की शर्त पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के नियम 05 (vi & vii) एवं अनुसूची 1 में अंकित प्रावधानानुसार उनके नाम के सामने कॉलम सं. 08 में अंकित दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स लेवल–12 एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की एवं नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है एवं साथ ही उक्त तिथि (कॉलम संख्या 08 में अंकित) से इनका प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर स्थाईकरण किया जाता है।

क्रम सं.	विषय	पुरानी मेरिट संख्या व वर्ग	नई मेरिट संख्या	नाम व्याख्याता	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	स्थायीकरण/नियमतवेतन श्रृखला प्राप्त करने की तिथि	पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	His	1412 BC LD RG	–	SURENDRA KUMAR	26/05/1980	29/06/2017	29/06/2019	राउमावि रोटांवली–श्रीगंगानगर
2	His	908 GE,WE,RG,NG	–	NEHA RATHORE	11/01/1979	02/10/2017 मध्यान्ह पश्चात्	03/10/2019	राउमावि डिडावता–फागी–जयपुर

उक्त अभ्यर्थियों की नई मेरिट के संदर्भ में आदेश राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से निर्देश प्राप्त होने पर पृथक से जारी किये जायेगें ।

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–2/वाणि–इति/प्रोब–स्थाई/पीएससी–15/2019 दिनांकः 08-07-2020

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 उप शासन सचिव, प्रथम, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, जयपुर
2 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3 संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
4 जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
5 संबंधित संस्था/संस्थाप्रधान/कार्मिक
6 अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएसी प्रभाग/सी–8 कार्यालय हाजा
7 सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8 निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

संयुक्त शासन सचिव– शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग जयपुर के पत्र कमांक प.7(60) शिक्षा–2/2019 जयपुर दिनांक 29.06.2020 के द्वारा सुश्री प्रिया कुमारी प्राध्यापक हिन्दी, राबाउमावि अयाना–कोटा के परिवीक्षाकाल में 90 दिवस के अतिरिक्त उपभोग किये गये निम्न तालिका में वर्णित अवधि कुल 615 दिवस के असाधारण अवकाश की स्वीकृति होने के पश्चात असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है –

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि)	अवकाश का विवरण	कुल दिवस
1	सुश्री प्रिया कुमारी प्राध्यापक हिन्दी, राबाउमावि अयाना–कोटा	21.02.2016 से 24.02.2016	04 दिवस
		26.02.2016 से 21.03.2016	25 दिवस
		29.03.2016 से 22.04.2016	25 दिवस
		21.06.2016 से 02.07.2016	12 दिवस
		04.08.2016 से 27.08.2016	24 दिवस
		13.07.2017 से 22.07.2017	10 दिवस
		23.07.2017 से 05.08.2017	14 दिवस
		09.08.2017 से 26.09.2017	49 दिवस
		03.10.2017 से 06.10.2017	04 दिवस
		26.10.2017 से 01.12.2017	37 दिवस
		13.12.2017 से 22.12.2017	10 दिवस
		09.01.2018 से 17.02.2018	40 दिवस
		20.02.2018 से 08.05.2018	78 दिवस
		04.07.2018 से 12.04.2019	283 दिवस कुल 615 दिवस

कार्मिक के परिवीक्षाकाल मे वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक 11.06.2014 एंव 11.08.2014 के अनुसार नियमानुसार वृद्धि होगी ।

(सौरभ स्वामी)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–7/पीएससी/स्थायी/2013/300 दिनांक : 09/07/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2 संबधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा ।
3 संबधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
4 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक
4 सिंस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ
6 संबंधित प्रधानाचार्य
6 संबधित कार्मिक
7 निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर